राजस्थान विधान सभा

अङ्क ८] द्वितीय विधान सभा के आठवें सत्र, १९६० का १५ वां दिवस [संख्या १०

बुधवार, दिनांक ९ मार्च, १९६०

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.५ जे विधान सभा भवन, जयपुर, में भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

राजस्थान राज्य के १९६०-६१ के आय-व्ययक पर वित्त मंत्री, श्री हरिभाऊ उपाध्याय, का भाषण

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्री।

वित्त मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : श्रीमन्, मैं राजस्थान सरकार के १९६०-६१ के आयव्ययक अनुमान प्रस्तुत करने के लिये उपस्थित हुआ हूं।

२. सबसे पहले मैं सदन को कुछ साधारण बातों की जानकारी देना चाहता हूं जिनका आगामी वर्ष के आयव्ययक से गहरा सम्बन्ध है। १९६०-६१ का यह वर्ष दूसरी पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष होगा। इस वर्ष के आयव्ययक से जहां गत चार वर्षों के विकास कार्यों की प्रगति का का अन्दाज लगेगा वहां यह भी मालूम होगा कि योजना के पांचवें वर्ष के लिये क्या-क्या कार्यक्रम निर्धारित किये गये हैं। इसलिये सहज ही इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है।

३. माननीय सदस्यों को विदित होगा कि विगत दस वर्षों में अन्य देशों की तरह भारत की आर्थिक प्रवृत्तियों में भी मुद्रा की अपस्फीति (डिफ्लेशन), स्फीति (इन्फ्लेशन) और संस्फीति (रिफ्लेशन) के लक्षण प्रकट हुए हैं, परन्तु हमने अपने जबरदस्त प्रयत्नों द्वारा इन सब पर काबू पा लिया है और स्थायित्व व आत्मविश्वास की स्थिति पैदा कर ली है जिससे हम ऐसे पथ पर चल रहे हैं जो हमको आर्थिक समृद्धि की ओर निश्चित रूप से ले जा सकेगा।

४. इससे स्फूर्ति पाकर हमने चालू वर्ष में लोकतन्त्री विकेन्द्रीकरण अथवा पंचायती राज की योजना शुरू की है। उसका भी गहरा प्रभाव हमारी वित्तीय व्यवस्था पर पड़ेगा और यह प्रभाव इस वर्ष के आय-व्ययक अनुमानों में दिखाई देगा।

५. इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू का भी मैं जिक्र करना चाहता हूं जिसे ध्यान में रखना होगा। वह यह है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना तैयार करने का कार्य हाथ में ले लिया गया है और अपने राज्य की

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

विशाल आवश्यकताओं को देखते हुए हमको पहले से बहुत अधिक बड़े आकार की योजना पर जोर देना होगा। इसका अर्थ यह है कि राज्य की जनता से अधिक त्याग तथा अधिक योगदान की अपेक्षा रहेगी और हमें अपने सारे उपलब्ध संसाधनों का भरपूर उपयोग करना होगा। राज्य की तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये जो संसाधन जुटाये जा सकेंगे उनका अनुमान लगाया गया है और आयोजना आयोग को भेज दिया गया है। यह अनुमान राज्य के आयोजना विभाग द्वारा तैयार किये योजना ढांचे में दर्ज है। इससे पता लगेगा कि तीसरी योजना के लिये १०० करोड़ रुपये के संसाधनों की व्यवस्था सोची गई है।

६. इससे यह नहीं समझना चाहिए कि तीसरी योजना के लिये आवंटन (अलॉटमेंट) करते समय राष्ट्रीय आयोजना आयोग केवल इसी आधार पर चलेगा कि भिन्न-भिन्न राज्य कितने संसाधन जुटा सकते हैं, और यह नहीं देखेगा कि उनकी अपेक्षाएं तथा आवश्यकताएं क्या हैं। पर इस बात को भी नजरअन्दाज नहीं किया जायगा कि कोई राज्य कितने संसाधन स्वयं जुटाने में समर्थ है, क्योंकि उसकी योजना का आधार उसके संसधानों के अनुपात में भी होगा।

७, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में, संसाधनों के मामले में हमारा अभी तक का निष्पादन वैसे काफी संतोषजनक है। हमारा राज्य नया है, अत: इसे अन्य विकसित राज्यों के स्तर तक लाने के लिये हमको योजना कार्यक्रम से भिन्न योजनाओं पर भी बहुत अधिक खर्च करना जरूरी हुआ है। सीमा शुल्कों (कस्टमड्यूटी) का अन्त किया जाना और उनके स्थान पर बिक्री-कर लगाया जाना, वेतन श्रृंखलाओं का समानीकरण (रेशनलाइजेशन), अजमेर का विलय, अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि, प्रशासकीय स्थापनाओं का विस्तार आदि बातों का राज्य की आय-व्ययक स्थिति पर काफी अधिक प्रभाव पड़ा है। इसलिये, जैसा कि मैं अपने पिछले भाषणों में भी बता चुका हूं, द्वितीय वित्त आयोग की सिफारिश तथा आर्थिक प्रगति के फलस्वरूप जो अतिरिक्त संसाधन हमने उपार्जित किये थे उनका अधिकांश इस अतिरिक्त व्यय में खप गया है।

८. हमने अतिरिक्त कर भी लगाये हैं। इस दिशा में हमारा प्रयास सुफलदायक हुआ है और यही कारण है जिससे आयोजना आयोग १९६०-६१ के योजना कार्यक्रमों के अर्थप्रबन्ध के वास्ते हमको अधिक केन्द्रीय सहायता देने पर सम्मत हुआ है।

९. प्रारम्भ में दूसरी योजना को अन्तिम रूप देते समय नये कर-आरोपण का लक्ष्य ५.१ करोड़ रुपये निश्चित किया गया था—३.८ करोड़ राजस्व खाते में तथा १.३ करोड़ पूंजीगत खाते में। बाद में राजस्थान के पूर्वगठित राज्य के लिये यह लक्ष्य बढ़ा कर ८ करोड़ रुपये कर दिया गया था। अजमेर के विलय के बाद पुनर्गठित राजस्थान के लिये यह लक्ष्य ९ करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया। प्रत्याशा तो यह है कि अब हम इस लक्ष्य से भी ४.५ करोड़ रुपये अधिक प्राप्त कर सकेंगे।

१०. इस प्राक्कथन के बाद अब मोटे तौर पर योजना की प्रगति के बारे में भी कुछ

Page No.3

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

शब्द कहना अप्रासंगिक नहीं होगा। हमारी पूर्वावधारणा है कि पुनर्गठित राजस्थान की दूसरी योजना की अवधि में योजना व्यय की १०५.२७ करोड़ रुपये की उच्चतम सीमा (सीलिंग) के मुकाबले में हम १०१.४२ करोड़ रुपया खर्च कर सकेंगे। इसकी विगत यह है कि हम १९५६-५७ में १३.६ करोड़ रु०, १९५७-५८ में १५.३ करोड़ रु०, १९५८-५९ में १६.६७ करोड़ रु० और १९५९-६० में २४.०५ करोड़ रु० (संशोधित अनुमान) खर्च कर चुके हैं और आगामी वर्ष में आयोजना आयोग द्वारा अनुमोदित २८.२० करोड़ रुपया खर्च करेंगे। इसमें राज्य का अंशदान ४० करोड़ रुपये के लगभग अनुमाना गया है। वित्तीय परिभाषा में योजना का ९६ प्रतिशत भाग पूरा हो जायगा, ऐसी आशा है। भौतिक लक्ष्यों की दृष्टि से भी हमारी निष्पत्तियां संतोषजनक होने की आशा है, क्योंकि ज्यों-ज्यों वर्ष के बाद वर्ष गुजरे हैं त्यों-त्यों हमको उत्तरोत्तर प्रगति दिखाई दी है। यह कहना अत्युक्ति-पूर्ण न होगा कि हमारा सारा देश ही कठिनाइयों को पार करता हुआ अब उस स्थिति पर पहुंच गया है जिस पर दूसरों को ईर्ष्या हो सकती है।

११. अगले वर्ष के कार्यक्रम निर्धारित करने के लिये आयोजना आयोग ने गत वर्ष दिसम्बर में हमारे राज्य के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया था। इस विचार-विमर्श के फलस्वरूप हमने १३.६ करोड़ रुपये तक के संसाधन जुटाने का उपक्रम किया है। इसमें १ करोड़ रुपया १९६०-६१ में अतिरिक्त कर आरोपण तथा मितव्ययता का शामिल है। २८.२ करोड़ रुपये के योजना व्यय के अर्थप्रबंध के लिये केन्द्रीय सहायता का पक्का वचनबन्ध केवल १३.५ करोड़ रुपये का था, परन्तु हमारे कर आरोपण प्रयास की सफलता को तथा हमारी अपेक्षाओं को देख कर केन्द्रीय सरकार १ करोड़ रुपये की अतिरिक्त धन राशि देने को राजी हो गई है। इसलिये हमने आय-व्ययक अनुमानों में १४.५ करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता के शामिल किये हैं।

१२. ऋणों के भुगतान के बारे में मैंने गत वर्ष के अपने भाषण में एक तथ्य का उल्लेख किया था। उसी बात को मैं फिर विशेषरूप से दोहराना चाहता हूं। योजना कार्यक्रमों की भारी लागत को तथा राजस्व बजट के संतुलन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वित्त आयोग को इस बात की कोई गुंजायश नहीं दिखाई दी थी कि राज्यों के बजट में राजस्व में से ऋणों के भुगतान की कोई व्यवस्था की जा सके। इसलिये उसने राज्यों के सार्वजनिक ऋणों को समेकित करने की एक योजना का अनुरोध किया। किन्तु भारत सरकार ने वित्त आयोग के अनुरोध को नहीं माना है और वह विभिन्न ऋणों के चुकारे की मांग कर रही है। द्वितीय वित्त आयोग की सिफारिशों पर भरोसा कर के हमने चालू वर्ष के आय-व्ययक में, कुछ अल्पकालीन ऋणों, राहत व पुनर्वास ऋण तथा भाखड़ा ऋण का एक अंश, जो भूमि की बिक्री से प्राप्त होने वाली रकम तक सीमित था, इनके भुगतान के सिवाय, अन्य किसी ऋण के भुगतान की व्यवस्था नहीं की थी। लेकिन जब भारत सरकार ने हमारी प्रार्थना अस्वीकार कर दी तो यह भुगतान करना आवश्यक हो गया और इस कारण

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

संशोधित अनुमानों में इसकी व्यवस्था करनी पड़ी। आगे दातव्य होने वाली अदायगियों के भुगतानों में इसकी व्यवस्था आगामी वर्ष के बजट में शामिल की गई है।

१३. १९६०-६१ के आयव्ययक प्रस्तावों की व्याख्या करने से पहले मैं सदा की भांति पिछले दो वर्षों की स्थिति का संक्षेप में वर्णन करूंगा तथा चालू वर्ष के कार्यों का सिंहावलोकन करूंगा।

१९५७-५८ का लेखा

१४. १९५७-५८ में वास्तविक राजस्व प्राप्तियों का योग ३०६८.९४ लाख रुपये था जिसमें से राजस्व लेखे में कुल ३१३१.९६ लाख रुपये का व्यय हुआ। इससे राजस्व में ६३.०२ लाख रुपये का घाटा रहा। इस वर्ष में पूंजीगत व्यय का कुल योग ७१३.६१ रुपये रहा।

१९५८-५९ का लेखा

१५. १९५८-५९ के मूल अनुमानों के अनुसार १९.५० लाख रुपये की राजस्व बचत प्रत्याशित थी।

१६. सिंचाई, सुधार शुल्क तथा कुछ अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत प्राप्तियों के अनुमान हमारी आशा के अनुसार पूरे नहीं हुए। इस वर्ष के दौरान में २५० रु० मासिक तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मंहगाइ भत्ते में ५ रु० माहवारी की एतदर्थ वृद्धि के कारण १ अक्टूबर, १९५८ से अतिरिक्त व्यय मंजूर करना पड़ा। इस उपकार का लाभ सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा अन्य विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों को भी दिया गया।

१७. इसके अलावा तीन मदों का राजस्व खाते में नामे डाल कर समायोजन किया गया: (१) १०० लाख रुपया पिछले वर्षों में अनाज व्यापार योजना के लाभ-हानि लेखे में दिखाई गई हानि (२) २० लाख रुपये की सरकारी प्रभूतियों का रोकड़ बाकी खाते में से राजस्थान विश्वविद्यालय को हस्तानान्तरण तथा (३) जयपुर के बाईजीलाल के विवाह संबंधी १०.५० लाख रुपये का दाखला। इसका परिणाम यह हुआ कि लेखे में १९७.४३ लाख रुपये का घाटा पड़ गया।

१८. १९५८-५९ में वास्तविक राजस्व प्राप्तियों का योग ३३९७.३० लाख रुपये था जिसमें से राजस्व लेखे में कुल ३५९४.७८ लाख रुपये का व्यय हुआ। इस वर्ष में कुल पूंजीगत व्यय १६५६.१८ लाख रुपये हुआ।

१९५९-६० के आय-व्ययक अनुमान

१९. १९५९-६० के आयव्ययक अनुमानों में ३९२७.०८ लाख रुपये का कुल राजस्व जमाखाते में दिखाया गया था। इसमें ४६०.८३ लाख रुपये योजना कार्यों के लिये केन्द्रीय अनुदान के रूप में थे और बाकी रकम राज्य के साधारण आगमों के रूप में, जिसमें अतिरिक्त कर आरोपण से प्रत्याशित प्राप्तियां भी शामिल थीं।

२०. व्यय पक्ष में, राजस्व प्रभारित व्यय का अनुमान ३९१४.२२ लाख रुपये

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

रखा गया था। इस व्यय में विभिन्न मदों के अन्तर्गत परिवर्द्धित आवंटनों की व्यवस्था की गई थी और उच्चतम सीमाओं के भीतर व बाहर अनुमोदित योजना कार्यक्रमों के लिये व्यवस्था भी शामिल थी। इस प्रकार १२.८६ लाख रुपये की छोटी सी बचत का पूर्वानुमान लगाया गया था।

२१. पूंजीगत व्यय २५३२.७४ लाख रुपये अनुमाना गया था।

२२. राजस्व तथा पूंजीगत खातों में योजना पर कुल लागत ३२४६.६० लाख रुपये प्रस्तावित की गई थी–१८५८.७१ लाख रुपये उच्चतम सीमा के भीतर तथा १३८८.१६ लाख रुपये उच्चतम सीमा से बाहर।

२३. नौ महीनों की वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर तथा बाकी तीन महीनों की संभावित प्राप्तियों का हिसाब लगाने के बाद राजस्व प्राप्तियां के संशोधित अनुमानों की राशि ३६६८.१६ लाख रुपये बैठती है। यह राशि मूल अनुमानों की राशि के मुकाबले में ७१.११ लाख की वृद्धि दर्शाती है और यह वृद्धि बढ़तों व घटतों को मिला कर हुई है। इनका पूरा ब्योरा आयव्ययक की व्याख्या में दिया हुआ है।

२४. चालू वर्ष के व्यय के आंकड़े प्रस्तुत करने से पहले मैं इस वर्ष में अवलम्बन किये गये कर आरोपण उपायों का सिंहावलोकन करना उचित समझता हूं। चालू वर्ष में अतिरिक्त कर आरोपण के द्वारा ५८ लाख रुपये इकट्ठा करने का निश्चय किया गया था। सिंचाई दरों के समानीकरण के परिणामस्वरूप इनमें ८ लाख रुपये की वृद्धि, भाखड़ा से भिन्न क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाओं पर सुधार शुल्क द्वारा १२ लाख रुपये, आबकारी शुल्कों की दरों में वृद्धि से ८ लाख रुपये और मोटर-वाहनों द्वारा सफर करने वाले यात्रियों तथा लादे जाने वाले माल पर कर से ३० लाख रुपये।

२५. जहां तक राज्य आबकारी करों तथा यात्रियों व माल पर कर का संबंध है, हमको आशा है कि प्राप्ति निर्धारित लक्ष्य से अधिक होगी। किन्तु 'सिंचाई तथा सुधार शुल्क,' इन दो शीर्षकों के अन्तर्गत हमारी पूर्वावधारणाएं फलवती नहीं होती दिखाई देतीं।

२६. जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, जिस उल्लेखनीय घटना ने हमारी वित्तीय स्थिति को प्रभावित किया है वह है लोकतन्त्री विकेन्द्रीकरण की योजना जो २ अक्टूबर, १९५९ से लागू की जा चुकी है। माननीय सदस्यों को यह बतलाने की आवश्यता नहीं है कि सारे देश में हमारे राज्य ने ही संपूर्ण रूप में इस योजना को लागू करने में पहल की है। इतना ही नहीं बल्कि विकेन्द्रीकरण की दिशा में हम कुछ बातों में बलवन्तराय मेहता समिति की सिफारिशों से भी आगे बढ़ गये हैं। पंचायती राज्य स्थापित करने की दिशा में यह एक साहसिक कदम है जिसका ऊपर से नीचे तक स्वागत हुआ है और इसकी सफलता पर सब की आंखें लगी हुई हैं। इस लोकतन्त्री विकेन्द्रीकरण योजना के अन्तर्गत २३२ पंचायत समितियां तथा २६ जिला परिषदें स्थापित की गई हैं। राजस्थान पंचायत समिति व जिला परिषद

Page No.6

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

अधिनियम, १९५९, के अनुसार इन्हें कृत्य व निधियां सौंप दी गई हैं ।

२७. चालू वर्ष के शेष ६ महीनों (अक्टूबर से मार्च) के लिये अनुदान के रूप में २५८.९९ लाख रुपये तथा ऋणों के रूप में ७७.५५ लाख रुपये, इस प्रकार कुल मिला कर ३३६.५४ लाख रुपये इन पंचायत समितियों को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं ताकि ये संस्थाओं के संचालन के दायित्वों को पूरा कर सकें और जो विकास योजनाएं इन्हें सौंपी गई हैं उन्हें क्रियान्वित कर सकें । इसके अतिरिक्त ५०.५० लाख रुपये, ५०,००० रु० प्रति छायाखण्ड (शैडो ब्लाक) के हिसाब से, १०१ छाया-खण्डों के लिये मंजूर किये गये । आठ पूर्व विस्तार खंडों के लिए ३.०३ लाख रुपये भी मंजूर किये गये । अधिनियम की धारा ३५ (१) (६) के प्रावधानों के अनुसार १७.५७ लाख की धन-राशि भी इन्हें हस्तान्तरित की गई । यह धन-राशि खण्डों की आबादी के प्रति व्यक्ति पर २५ नये पैसे के हिसाब से जोड़ी गई रकम की आधी के बराबर है, क्योंकि इसकी व्यवस्था चालू वर्ष के शेष ६ महीनों के लिये ही की गई है । इस प्रकार ६ महीनों की अवधि के लिये हस्तान्तरित की गई धनराशि का कुल योग ४०७.६४ लाख रुपये है ।

२८. चूंकि चालू वर्ष का आयव्ययक पहले ही स्वीकृत हो चुका था इसीलिये आयव्ययक के अन्तर्गत धनराशियों के हस्तान्तरण के अलावा होने वाले इस व्यय का योग लगभग ८० लाख रुपये बैठता है । छायाखण्डों को एतदर्थ अनुदान के ५३.५३ लाख रुपये, भू-राजस्व के अंश के १७.५७ लाख रुपये, पंचायत समितियों के ऊपर डाले जाने वाले जिला बोर्डों की अदायगियों के ४.३५ लाख रुपये तथा जिला बोर्डों के अस्पतालों व आयुर्वेदिक औषधालयों से संबंधित अदायगियों के लगभग ५ लाख रुपये इसमें शामिल हैं । इस व्यय के कुछ अंश को योजना कार्यक्रमों में समायोजित करने का प्रयत्न किया गया है ।

२९. व्यय खाते पर प्रभाव डालने वाला एक विशेष कारण और भी है । ४० लाख रुपये की मितव्ययता कटौती में हमको पूरी सफलता नहीं मिली है । इसलिये व्यय के आंकड़ों में वृद्धि के लिये यह कारण भी कुछ हद तक जिम्मेदार है ।

संशोधित अनुमान १९५९-६०–राजस्व लेखे पर व्यय

३०. मूल आयव्ययक में राजस्व प्रभारित व्यय के अनुमानों की ३९१४.२२ लाख रुपये की कुल राशि के मुकाबले में संशोधित अनुमानों की राशि ४१३७.५५ लाख रुपये हो गई । यह वृद्धि लगभग सभी शीर्षकों के अन्तर्गत होने वाली वृद्धियों का परिणाम है । इस प्रकार की वृद्धियां दर्शाने वाले कुछ मुख्य शीर्षक ये हैं: भू-राजस्व, ऋणों व अन्य दायित्वों पर ब्याज, सामान्य प्रशासन, पुलिस, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, विविध विभाग, राजस्व से व्यय होने वाले असैनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत, अधि-वार्षिक अधिदेय व निवृत्ति वेतन (पेन्शन), विविध, असाधारण प्रभार, तथा सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा व स्थानीय विकास कार्य ।

Page No.7

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

३१. व्यय में उल्लेखनीय कमी दिखाने वाले केवल दो शीर्षक हैं: ऋणों के घटाव व परिहार के लिये विनियोग तथा सहकारिता।

३२. घटा-बढ़ी के कारणों की विवेचना करने में मैं सदन का समय नहीं लूंगा क्योंकि इनका विवरण आयव्ययक की व्याख्या में दिया हुआ है।

३३. ३९९८.१९ लाख रुपये की कुल राजस्व प्राप्तियों के मुकाबले में राजस्व प्रभारित व्यय ४१३७.५५ लाख रुपये का बैठता जिससे १३६.३६ लाख रुपये का घाटा दिखाई पड़ता है।

पूंजीगत व्यय

३४. राजस्व खाते से बाहर पूंजीगत व्यय का कार्यक्रम संशोधित अनुमानों में २१९०.६१ लाख रुपये रखा गया है जिसमें १७८६.२१ लाख रुपये योजना व्यय के शामिल हैं।

सार्वजनिक ऋण

३५. चालू वर्ष के दौरान में साढ़े तीन करोड़ रुपये का एक सार्वजनिक ऋण जारी किया गया जो खुलने के बाद एक घण्टे में ही पूरा हो गया।

अधिविकर्षित

३६. १ अप्रैल, १९५९ को स्टेट बैंक से अधिविकर्षित (ओवरड्राफ्ट) कुल धन राशि ९९८.४० लाख रुपये थी। चालू वर्ष के दौरान में यह राशि हर महीने घटती बढ़ती रही है। ३१ मार्च, १९६०, को संभवतया यह धन राशि ११ करोड़ रुपये के लगभग हो जायगी।

आर्थिक स्थिति का पर्यालोचन

३७. १९६०-६१ के आयव्ययक अनुमानों का ब्यौरा देने से पहले मैं मौजूदा आर्थिक प्रवृत्तियों के बारे में कुछ बातें सदन के सामने रखना चाहता हूं। पिछले वर्ष देश के अन्य भागों की भांति हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था में भी उतार-चढ़ाव आते रहे, खुदरा कीमतों व थोक भावों में मुद्रास्फीति का प्रभाव प्रकट हुआ। इसके फलस्वरूप वस्तुओं के भावों में, विशेषकर खाद्यान्नों के भावों में, जो चढ़ाव १९५८ के अन्त में शुरू हुआ था वह १९५९ में भी कई महीनों तक चलता रहा। इसलिये सरकार ने खाद्यान्नों के राजकीय व्यापार का निश्चय किया ताकि उत्पादक व उपभोक्ता दोनों को उचित भावों का लाभ मिले। इसके लिये सरकार ने औसत दर्जे का अच्छा गेहूँ निर्धारित भावों पर खरीदा और उसके वितरण की व्यवस्था की। जितना गेहूं खरीदा गया था उसका अधिकांश कमी वाले इलाकों में वितरण किया जा चुका है और इससे गेहूँ के भावों का स्तर ऊंचा नहीं उठने पाया है। दूसरी ओर बड़े उद्योगों में जो मन्दी आ गई थी वह धीरे धीरे दूर होती जा रही है। खाद्यान्नों, दालों व तिलहनों के उत्पादनों में वृद्धि हुई है। इससे आर्थिक स्थिति में सुधार के लक्षण प्रकट होने लगे हैं।

३८. आगामी रबी की फसल की संभावनाओं पर सावधानी से निगाह रखी जा रही है और १९६०-६१ में हमारी खाद्यान्न

Page No.8

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

नीति मुख्यतया इस फसल की स्थिति पर तथा अन्य संबद्ध कारकों पर निर्भर करेगी। संतोष की बात है कि केन्द्रीय सरकार ने हमको आश्वासन दिया है कि राजस्थान को गेहूँ का अलग क्षेत्र बना रहने दिया जायगा। इससे खाद्यान्नों के भावों की बढ़ोतरी रोकने में सहायता मिलेगी।

३६. उद्योगों के क्षेत्र में पंजीकृत फैक्टरियों की संख्या, जो १९५८ में ४८६ थी वह १९५९ में ५०७ हो गई। इनके अलावा कुटीर व लघु उद्योगों की भी इकाइयां बड़ी संख्या में स्थापित की गई हैं। सीमेंट का उत्पादन ७.६ लाख टन से बढ़ कर ९.२ लाख टन हो गया और कांच का ७० हजार टन से बढ़ कर ८० हजार टन हो गया; किन्तु चीनी और कपास का उत्पादन नीचे गिरा। हमारा राज्य औद्योगीकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में तत्पर है।।

४०. महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन में बराबर वृद्धि होती रही।

४१. संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि हमारे राज्य की अर्थ व्यवस्था उस स्थिति की ओर अग्रसर हो रही है जहां से उसके लिये आत्म-निर्भर व आत्म-उत्पादक अर्थ-व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त हो जायेगा।

आयव्ययक अनुमान १९६०-६१
राजस्व से प्राप्तियां

४२. अब मैं १९६०-६१ आयव्ययक पर आता हूं। राजस्व प्राप्तियों के बारे में आयव्ययक अनुमान तैयार करने में विगत वर्षों की वास्तविक प्राप्तियों के साथ साथ विभिन्न शीर्षकों से संबंध रखने वाले विशेष कारकों को भी ध्यान में रखा गया है। यह भी ध्यान रखा गया है कि केवल वे ही प्राप्तियां जमा खाते में डाली जांय जो वास्तव में वर्ष के दौरान में उपार्जित होने वाली हों। अतिशयोक्ति और न्यूनोक्ति दोनों से बचते हुए ऐसे अनुमान तैयार करने का प्रयत्न किया गया है जो वास्तव में मूर्त रूप ग्रहण करने योग्य है।

४३. अलग-अलग शीर्षकों के लिए प्रस्तावित आंकड़ों का वर्णन करने से पहले जिन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिये उनका जिक्र करना जरूरी है। एक तो हमको यह प्रयत्न करना पड़ता है कि जहां तक संभव हो राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों की सीमा के भीतर रहे। दूसरे, गत दिसम्बर में योजना पर वार्षिक विचार–विमर्श के समय हमने १३.६ करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाने का जो वचनबन्ध किया है उसे पूरा करना है। इसमें से १ करोड़ रुपये हमको अतिरिक्त कर आरोपण तथा मितव्ययता से प्राप्त करने हैं।

४४. विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों का कुल योग ४५१४.९६ लाख रुपये बैठता है जिसमें योजना कार्यक्रमों के लिये केन्द्रीय सरकार से प्राप्त होने वाली ५८६.३० लाख रुपये की अर्थ-सहायता भी शामिल है।

४५. संशोधित अनुमानों के मुकाबले में जिन महत्वपूर्ण शीर्षकों के अन्तर्गत वृद्धियां दिखाई गई हैं वे हैं : केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (९.०२ लाख), निगमकर से भिन्न अन्य

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

आयों पर कर (८.२३), भूराजस्व (३५ लाख), राज्य आबकारीकर (७ लाख), मुद्रांक (२ लाख), वन (७ लाख), वाहनों पर कर (७.५० लाख), बिक्रीकर (२० लाख), अन्य कर व शुल्क (१७.५० लाख), सिंचाई, नौका-वहन, तटबन्धन व जल निकास कार्य (गैर वाणिज्य) (१० लाख), ब्याज (३.०५ लाख), शिक्षा (६२.१० लाख), चिकित्सा (६.०४ लाख), सार्वजनिक स्वास्थ्य (१३.३० लाख), कृषि (१६.४६ लाख), पशुपालन (७ लाख), सहकारिता (६.५७ लाख), विविध विभाग (१२.६८ लाख), विविध (५५.६५ लाख) तथा असाधारण प्राप्तियां (२२६.६६ लाख) ।

४६. भू-राजस्व एक महत्वपूर्ण शीर्षक है जिसके अन्तर्गत गत वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों से १०० लाख रुपये अधिक तथा चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों के मुकाबले में ३५ लाख रुपये की वृद्धि दिखाई गई है । चालू वर्ष के पहले नौ महीनों में वास्तविक प्राप्तियों की रकम ४३७.८५ लाख रुपये है । इसके मुकाबले में गतवर्ष की तत्संबंधित अवधि में इन प्राप्तियों की रकम ३७६.६१ लाख रुपये थी । राज्य आबकारी शुल्क एक और शीर्षक है जिसमें आशा से अधिक प्राप्ति हुई है । अफीम का प्रयोग बन्द कर देने से अफीम से प्राप्त होने वाले राजस्व में कमी की गुंजाइश रखते हुए और मादकद्रव्य निषेध की नीति को ध्यान में रखते हुए हमने ३३८.०० लाख रुपये का संकीर्ण अनुमान लगाया था । किन्तु नये कर आरोपण उपायों ने तथा अफीमचियों को अफीम के उपयोग की अनुमति देने से और प्रशासनिक तन्त्र को कसने से वास्तविक राजस्व हमारी प्रत्याशाओं से अधिक हुआ है और चालू वर्ष की वास्तविक प्राप्तियां ३८५ लाख रुपये तक पहुँच जाने की संभावना है । इस शीर्षक में अगले वर्ष के लिये ३६२ लाख रुपये रखने का प्रस्ताव है । मुद्रांक, वाहनों पर कर, बिक्री कर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, निगमकर से भिन्न अन्य आयकर तथा अन्य कर व शुल्क, इन शीर्षकों के अन्तर्गत वृद्धियां वास्तविक प्राप्तियों की चढ़ती हुई प्रवृत्तियों पर आधारित हैं । विकास शीर्षकों में वृद्धियां मुख्यतया विकास योजनाओं के लिये प्राप्त होने वाली परिवर्द्धित अर्थ सहायता के कारण दिखाई गई है । भूमिगत जल बोर्ड के कार्यों में बढ़ोतरी होने से कृषि के अन्तर्गत भी अधिक प्राप्तियों की आशा है । पलाना कोयला खान द्वारा कोयले की बिक्री के कारण तथा भांकरी की पट्टियों की खदान में सुधार होने के कारण, विविध विभागों के अन्तर्गत भी वृद्धि की आशा है । विविध के अन्तर्गत दिखाई गई परिवर्द्धित प्राप्ति का कारण सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण है । असाधारण प्राप्तियों के अन्तर्गत चम्बल व भाखड़ा क्षेत्रों में भूमि की बिक्री से तथा भाखड़ा व अन्य क्षेत्रों में सुधार शुल्क से प्राप्त होने वाली आय शामिल की गई है जो चालू वर्ष में वसूल नहीं हुई ।

१९६०-६१ के राजस्व लेखे पर व्यय के अनुमान

४७. राजस्व प्रभारित कुल आय का अनुमान ४५८६.२२ लाख रुपये है जिसमें १२०८.७८ लाख रुपये योजना कार्यक्रमों के शामिल हैं ।

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

४८. इसमें पंचायत समितियों को दिये जाने वाले भूराजस्व के हिस्से के ३५ लाख रुपये की तथा छायाखण्डों को दिये जाने वाले तदर्थ अनुदानों के २५.२५ लाख रुपयों की व्यवस्था भी शामिल है।

४९. इस सिलसिले में एक महत्वपूर्ण बात का जिक्र करना आवश्यक है। राजस्व खाते से होने वाले व्यय के अनुमानों में १०० लाख रुपये की जो रकम जागीरदारों को मुआवजे के खर्च की व्यवस्था के लिये हर साल रखी जाती है वह आगामी वर्ष के अनुमानों में शामिल नहीं की गई है। इसका कारण यह है कि योजना कार्यक्रमों की क्रियान्विति के फलस्वरूप हमारा अंगीकृत खर्च इतना बढ़ता जा रहा है कि पूंजीगत व्यय के लिये राजस्व खाते में से कोई भी धन राशि लेना संभव नहीं है।

५०. विकास शीर्षकों को छोड़ कर अन्य महत्वपूर्ण शीर्षक, जिनमें चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों के मुकाबले में वृद्धियां दिखाई गई हैं, ये हैं : भूराजस्व (५.५१ लाख), अन्य कर व शुल्क (४.३३ लाख), साधारण राजस्व से व्यय किया जाने वाला अन्य राजस्व व्यय (२.१४ लाख), ऋणों व अन्य दायित्वों पर ब्याज (५० लाख), ऋणों के घटाव व परिहार के लिये विनियोजन (४०.७४ लाख), सामान्य प्रशासन (१०.४३ लाख), तथा विविध (३६.२७ लाख)। जिन शीर्षकों में कमियां दिखाई गई हैं वे हैं : राज्य आबकारी कर (७.७१ लाख), पुलिस (८.६८ लाख), वैज्ञानिक विभाग (४.१६ लाख), लेखन सामग्री व मुद्रण (३.४८ लाख), तथा असाधारण प्रभार (८.६६ लाख)।

५१. शिक्षा, चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आदि शीर्षकों के अन्तर्गत गैर योजना मदों में परिवर्द्धित व्यवस्था की गई है जो वास्तविक आवश्यकताओं पर आधारित है।

पूंजीगत व्यय के अनुमान

५२. १९६०-६१ में पूंजीगत लेखे में व्यय की रकम २७२२.४६ लाख रुपये अनुमानी गई है, जिसमें २२२२.७६ लाख रुपये योजना कार्यक्रमों के शामिल हैं।

५३. इस प्रकार राजस्व, पूंजी व ऋणों के अन्तर्गत विकास योजनाओं के लिये २८१९.३७ लाख रुपये की कुल व्यवस्था की गई है। इसमें १७९८.२२ लाख रुपये की वह रकम शामिल नहीं है जो योजना की उच्चतम सीमाओं से बाहर अनुमित योजनाओं के लिये है।

५४. वित्तीय आवंटनों की रूपरेखा प्रस्तुत करने के बाद अब मैं व्यय अनुमानों के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। इनका विस्तृत ब्यौरा आयव्ययक के प्रलेखों में दिया हुआ है। राज्यपाल के अभिभाषण में जिन बातों का उल्लेख किया जा चुका है उनको दोहराना मैंने आवश्यक नहीं समझा है।

कृषि एवं खाद्यान्न उत्पादन

५५. साधारणतौर पर किसी कार्य की प्रगति का मूल्यांकन इस आधार पर किया

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

जाता है कि उसके लिये निर्दिष्ट धनराशि का कितना प्रतिशत भाग खर्च हुआ। परन्तु जब तक यह पता न लगे कि उस कार्य का भौतिक लक्ष्य कितना पूरा हुआ तब तक केवल वित्तीय लक्ष्य की पूर्ति के आधार पर उसकी सफलता नहीं आंकी जा सकती। इसलिये सरकार भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति के प्रति पूरी तरह जागरूक है। अपनी अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ आधार पर स्थापित करने के लिये हमने खाद्यान्नों के उत्पादन पर विशेष बल दिया है। मुझे यह सूचना देते हुए हर्ष होता है कि १९५८-५९ तथा १९५९-६० में खाद्यान्नों का वास्तविक उत्पादन हमारे लक्ष्यों को पार कर गया है। हमारा राज्य खाद्यान्नों के मामले में न केवल आत्म-निर्भर हो गया है बल्कि खाद्यान्नों की कुछ मात्रा अन्य राज्यों को निर्यात करने की भी स्थिति में है और हमको आशा है कि दूसरी योजना की समाप्ति तक हम ११ से १२ लाख टन तक अधिक अन्न पैदा कर सकेंगे।

५६. इस लक्ष्य की सिद्धि के लिये विभिन्न उपायों का अवलम्बन किया गया है और किया जा रहा है। १९६०-६१ में ४१ फार्मों की स्थापना का जो लक्ष्य था उसके अन्तर्गत १९५८-५९ के अन्त तक ३७ फार्मों के लिये भूमि प्राप्त कर ली गई थी। १९५९-६० में ४ फार्मों के लिये भूमि पर कब्जा कर लिया गया है और इस प्रकार यह लक्ष्य सिद्ध हो गया है। १९६०-६१ में इन फार्मों में भूमि का विकास, बाड़ें लगाना, सिंचाई कार्यों का निर्माण तथा साज सामान की व्यवस्था आगे बढ़ाने का आयोजन है।

५७. सुधरे हुए बीज, औजार, उर्वरक तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के अलावा इस बात पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के सिंचन क्षेत्रों में पानी का अधिक व सुचारु रूप से उपयोग हो। इन क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान तथा प्रसार कार्यक्रम, दोनों को गहन करने का निश्चय किया गया है। चम्बल क्षेत्र में चार अतिरिक्त प्रायोगिक फार्मों सहित एक अनुसंधान उप केन्द्र की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक फार्म ५० एकड़ का होगा और इनमें मिट्टी की किस्मों तथा उनसे सम्बन्धित समस्याओं के बारे में क्षेत्र विद्या विषयक अनुसंधान व परीक्षण किये जायेंगे।

५८. भूमिगत जल बोर्ड की गतिविधियां बढ़ रही हैं। कुओं को गहरा करने के अलावा कुछ नलकूप लगाये गये हैं और धौलपुर सब-डिविजन तथा जैसलमेर तथा बाड़मेर जिलों में नलकूपों के विकास की एक योजना भी बनाई गई है।

पशुपालन

५९. पशुपालन के क्षेत्र में १९६०-६१ के प्रस्तावों में एक सहकारी दुग्ध संघ, एक घी कोटीकरण (ग्रेडिंग) केन्द्र तथा २० भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्रों की स्थापना सम्मिलित है। १९ नये पशु औषधालय तथा दो चल औषधालय भी शुरू किये जायेंगे, ८ नई गोशालाएं खोली जायंगी और २० औषधालय चिकित्सालयों में परिवर्तित किये जायेंगे।

६०. भूमि की चकबन्दी का कार्य भी प्रगति पर है। ७.५१ लाख एकड़ भूमि की

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

चकबन्दी हो चुकी है और १९६०-६१ में ४.५ लाख एकड़ भूमि की और चकबन्दी की जायगी।

सहकार

६१. सहकारिता के क्षेत्र में सेवा सहकारी समितियों की स्थापना पर तथा मौजूदा छोटी छोटी ऋण समितियों को प्राणवान बनाने पर विशेष बल दिया जा रहा है जिससे दूसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक ७ लाख देहाती जनता लाभान्वित हो जाय। १९६०-६१ में ६६ सहकारी कृषि समितियां संगठित करने का भी प्रस्ताव है।

सामुदायिक तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा

६२. १९५८-५९ के अन्त में राज्य में सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रमों के अन्तर्गत १२२ विकास खण्ड चल रहे थे। १९५९-६० के लिये १२ प्रथम सोपान खण्डों तथा १६ पूर्व विस्तार खण्डों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और यह लक्ष्य पूरा हो गया है। १९६०-६१ में २० नये खण्ड खोले जायेंगे।

सिंचन

६३. सिंचाई के क्षेत्र में भाखड़ा परियोजना का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। कुछ छोटी इमारतों का काम बाकी है जो १९६०-६१ में पूरा हो जायगा। चम्बल परियोजना का कार्य बराबर प्रगति पर है और मुख्य चम्बल नदी को रोकने का कठिन काम सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। नहर प्रणाली के कार्य की प्रगति भी संतोषजनक है और आशा है कि मुख्य नहरों में इस वर्ष जून के अन्त तक पानी छोड़ दिया जायगा। छोटी नहरों व रजबहों के निर्माण का कार्य १९६०-६१ में जारी रहेगा और जो नहरें बन चुकी हैं उनसे इस वर्ष बरसात के बाद सिंचाई होने लगेगी।

६४. माही नदी पर एक नई बड़ी परियोजना का कार्य १९५९-६० में शुरू हो गया है। २६ मध्यम सिंचाई योजनाओं व कमी वाले क्षेत्रों की सिंचाई योजनाओं के जो कार्य चल रहे थे वे १९५९-६० में भी जारी रहे। २३ मध्यम सिंचाई योजनाओं के जो निर्माण कार्य पहली पंचवर्षीय योजना से चले आ रहे थे उन्हें इस वर्ष पूरा करने का प्रयत्न किया जायगा। दूसरी योजना में जो पांच नई (मध्यम) सिंचाई योजनाएं शामिल की गई हैं उनका कार्य भी चालू वर्ष में शुरू हो गया है।

६५. पीने के पानी तथा अन्य सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न अनेक कठिनाइयों के बावजूद राजस्थान नहर परियोजना का निर्माण-कार्य निरन्तर प्रगति कर रहा है। इस क्षेत्र में नई बस्तियां बसाने के लिये बारहमासी सिंचाई की सुविधाएं परमावश्यक हैं और हमको आशा है कि इसके लिए व्यास नदी पर बांध बनाने का कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में शुरू हो जायगा।

विद्युत

६६. बिजली के क्षेत्र में भाखड़ा व चम्बल परियोजनाओं की प्रगति का संक्षिप्त विवरण राज्यपाल के अभिभाषण में दिया जा चुका है। प्रारंभिक बाधाओं के बावजूद हमको आशा है कि योजना अवधि की

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

समाप्ति तक हमारे लक्ष्य पूरे हो जायेंगे। राणा प्रताप सागर परियोजना, जिस पर लगभग १७ करोड़ रुपये खर्च होंगे, आयोजना आयोग द्वारा अनुमोदित हो चुकी है। इसका प्रारम्भिक कार्य शुरू हो चुका है और इसके लिये आगामी वर्ष के आय-व्ययक में भी व्यवस्था की गई है।

६७. जयपुर में ३००० किलोवाट का एक टर्बो इंजन १९५९-६० में चालू हो चुका है, ५००० किलोवाट का दूसरा इंजन लगाने का कार्य बहुत आगे बढ़ चुका है और आशा है कि यह १९६०-६१ में चालू हो जायगा। जोधपुर में ६००० किलोवाट के नये वाष्पचालित बिजलीघर का काम जोरों से चल रहा है और यह १९६० के अन्त तक चालू हो जायगा। अलवर का बिजलीघर १९६० के उत्तरार्द्ध में और भरतपुर का बिजलीघर १९६१ के पूर्वार्द्ध में चालू हो जायेंगे। डीजल तेल से चलने वाले ७ नये बिजलीघर भी १९५९-६० में चालू हो चुके हैं और दूसरी योजना में प्रस्तावित बाकी के बिजलीघर भी १९६०-६१ की समाप्ति से पहले पूरे होकर चालू हो जायेंगे।

६८. चूंकि बिजली की कमी राज्य के विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा रही है, इसलिये सरकार विभिन्न क्षेत्रों में बिजली की सुविधाओं की व्यवस्था करने को विशेष महत्व दे रही है। अतः सारा ध्यान इस ओर केन्द्रित किया जा रहा है कि बिजली की जो परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं उन्हें अविलम्ब पूरा किया जाय।

सड़कें

६९. हमारे राज्य में सड़कों की कमी है और इसे दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। अब तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत २६०३ मील लम्बी सड़कें नई बनाई गई हैं और सुधारी गई हैं। १९६०-६१ में ९८८ मील लम्बी सड़कें बनाने व सुधारने का विचार है। भवन निर्माण का भी लम्बा-चौड़ा कार्यक्रम है।

शिक्षा

७०. शिक्षा के क्षेत्र में हमने जो प्रगति की है वह स्पष्ट दिखाई देती है। राजस्थान निर्माण के समय ६ से ११ आयु वर्ग के जो बालक पाठशालाओं में पढ़ रहे थे उनकी संख्या शाला-योग्य बालकों की संख्या का केवल ११ प्रतिशत थी। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह संख्या संभवतया ५० प्रतिशत तक पहुँच जायगी। ५००० प्राथमिक पाठशालाओं के मूल लक्ष्य के प्रति ४,५८५ प्राथमिक पाठशालाएं दूसरी योजना के चार वर्षों में ही खोली जा चुकी हैं। १९६०-६१ में २,४७५ पाठशालाएं बढ़ाने का विचार है और इस प्रकार हम निर्धारित लक्ष्य को भी पार कर जायेंगे। इसी प्रकार दूसरी योजना अवधि के गत चार वर्षों में प्राथमिक पाठशालाओं में ३,१४० अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था की गई है और १९६०-६१ में इस संख्या में १,५०० की वृद्धि की व्यवस्था है। इस वर्ष चलाये गये 'स्कूल चलो' अभियान के फलस्वरूप स्कूलों में लड़कों व लड़कियों, दोनों की भर्ती की संख्या बहुत काफी बढ़ी है। इससे मौजूदा स्कूलों का विस्तार करने की तथा नये स्कूल खोलने की काफी मांग पैदा

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

हुई है। लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और हमारा प्रयत्न सफल भी हुआ है।

७१. प्रशिक्षित अध्यापकों की बढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिये १९५९–६० में ११ बेसिक एस. टी. सी. स्कूलें खोली जा चुकी हैं और १९६०–६१ में ऐसी २१ स्कूलें और खोलने का प्रस्ताव है।

७२. दूसरी योजना अवधि में २८२ प्राथमिक पाठशालाओं को मिडिल स्कूलों में परिवर्तित करने का लक्ष्य है। परन्तु योजना के चार वर्षों में हो ४४३ प्राथमिक पाठशालाओं को मिडिल स्कूलों का दर्जा दे दिया गया है। १९६०–६१ के लिये १०० का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही अगले वर्ष ३७ मिडिल स्कूलों को हायर सेकन्डरी स्कूलें कर दिया जायगा तथा १० हाई स्कूलों को हायर सेकण्डरी स्कूलों में परिवर्तित कर दिया जायगा।

७३. माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि कालेजों के अध्यापकों के वेतन-स्तर राज्य की प्रशासनिक सेवाओं के वेतन-स्तरों के समकक्ष कर दिये गये हैं। आशा है कि अब राज्य की शिक्षण सेवाएं केवल राज्य के योग्यतम शिक्षा-प्राप्तों को ही नहीं बल्कि देश भर के ऐसे व्यक्तियों को भी आकर्षित कर सकेंगी।

७४. प्राविधिक शिक्षा पर भी उचित ध्यान दिया जा रहा है। राज्य में दो इन्जीनियरिंग कालेज तथा पांच पोलीटेक्निक खुले हुए हैं और १९६०-६१ में दो जूनियर टेक्निकल स्कूलें खोलने का विचार है।

७५. वास्तव में सहायता के योग्य निर्धन विद्यार्थियों की आर्थिक कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने गत वर्ष हाई स्कूल, इण्टर (कला व विज्ञान), बी. ए., व बी. एस. सी परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को छात्र-वृत्तियां देने का निर्णय किया था। अब विश्वविद्यालयी शिक्षा में सुधार करने के उद्देश्य से एक और महत्वपूर्ण कदम उठाने का विचार है। अभी तक विश्वविद्यालयों का मुख्य कृत्य स्नातक, स्नातकोत्तर तथा गवेषणा की उपाधियों के लिये परीक्षाएं लेना मात्र रहा है। परन्तु तात्कालिक आवश्यकता यह है कि उच्चस्तरीय अध्ययन को उन्नत करने तथा मौलिक चिन्तन उत्प्रेरित करने के वास्ते अपेक्षित उपायों का अवलम्बन किया जाय जिससे इस अध्ययन व चिन्तन के फल समाज की उन्नति व समृद्धि में सीधा योग दे सकें। इस हेतु ४-५ ऐसे विशिष्ट प्राध्यापकों को आमन्त्रित करने का विचार है जो साहित्य जगत व विज्ञान जगत में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त हों और जिन्होंने अपने मौलिक चिन्तन द्वारा मानव-ज्ञान को आगे बढ़ाने में योगदान दिया हो। इसके अलावा सरकार द्वारा अध्येताओं को दी जाने वाली कुछ फैलोशिपें भी स्थापित करने का निश्चय किया गया है। इनकी विस्तृत योजना तैयार की जा रही है।

उद्योग

७६. औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के हेतु राज्य ने हाल ही में एक उदार नीति की घोषणा की है जिसके अनुसार

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

उद्योगों की स्थापना के लिये सस्ती बिजली तथा भूमि प्रदान की जायगी । बिक्री कर और चुंगी के मामले में भी विशेष रियायतें दी जायेंगी । बिक्री कर में रियायतें देने के मामलों पर गौर करने के लिये एक स्थायी समिति नियुक्त कर दी गई है ।

७७. कपड़ा मिल, नाईलोन फैक्टरी, वैगन फैक्टरी आदि की स्थापना में सहायता की व्यवस्था के अलावा हमने भारत सरकार से यह अनुरोध किया है कि हनुमानगढ़ में सार्वजनिक क्षेत्र में एक उर्वरक कारखाना खोला जाय । हमको बहुत आशा है कि हमारी प्रार्थना स्वीकार होगी क्योंकि हम मानते हैं कि अन्य राज्यों की भांति हमारे राज्य में भी कम से कम एक बड़ा कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र में होना चाहिये । खेतड़ी में तांबा गलाने का संयंत्र तथा उदयपुर में जस्ता गलाने का संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं । बिजली की उपलब्धि तथा नयी नीति की घोषणा के फलस्वरूप हमें विश्वास है कि औद्योगिक विकास की गति में वास्तविक तेजी आ जायगी ।

७८. कुछ कपड़ा मिलों के बन्द हो जाने से श्रमिकों की बड़ी संख्या विस्थापित हो गई है और सरकार के लिये चिन्ता का विषय बन गई है । भारत सरकार के उद्योग व वाणिज्य मन्त्रालय के सहयोग से ऐसे ठोस कदम उटाये जा रहे हैं कि निकट भविष्य में इन मिलों को दुबारा चालू किया जा सके ।

चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य

७९. नये औषधालय व चिकित्सालय खोल कर तथा जिला अस्पतालों व डिविजनों के अस्पतालों में साज-सामान व पलंगों की व्यवस्था में वृद्धि करके उत्तरोत्तर अधिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं । १९६०-६१ में सीकर व भीलवाड़ा में छूत के रोगियों के लिये २० पृथक पलंगों की व्यवस्था की जायगी, दांतों के पांच रुजालय (क्लिनिक) और परिवार नियोजन के ५ केन्द्र तथा १५ क्लिनिक खोले जायेंगे । जयपुर में एक क्षय निरूपण केन्द्र स्थापित किया जायगा । झुंझुनूं, सीकर, भीलवाड़ा, झालावाड़, सिरोही, अलवर, ब्यावर आदि नगरों के अस्पतालों में पलंगों की संख्या बढ़ाई जायगी और ब्यावर में एक क्षय रुजालय भी खोला जायगा । तिलोनिया (अजमेर) में एक कुष्ठ चिकित्सालय भी खोलने का प्रस्ताव है ।

८०. बीकानेर में राज्य का दूसरा मेडिकल कॉलेज १९५९ में खुल गया है जिसमें प्रति वर्ष ५० शिक्षार्थी भर्ती किये जा सकेंगे । जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज में अन्वेषण की सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए कदम उठाये गये हैं । इस कॉलेज में प्रति वर्ष १०० शिक्षार्थी भर्ती करने का जो लक्ष्य रखा गया था उसके प्रति अब यह संख्या बढ़ा कर १२० कर दी गई है ।

८१. आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सा पद्धतियों में भी संतोषजनक प्रगति हो रही है । दूसरी योजना के चौथे वर्ष के अन्त तक आयुर्वेदिक औषधालयों की संख्या २३५ हो जायगी । १९६०-६१ में ऐसे ५० औषधालय और खोले जायेंगे । प्राकृतिक चिकित्सा तथा होमियोपैथी को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है ।

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

जल-पूर्ति

८२. राजस्थान के रेगिस्थान व अर्द्ध-रेगिस्तानी इलाकों में पीने के पानी की समस्या का स्थायी हल सुझाने के लिए जो समिति नियुक्त की गई थी उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है जो सरकार के विचाराधीन है । आशा की जाती है कि कुछ वर्षों तक एक क्रमबद्ध कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्था से इन इलाकों के निवासियों के लिए पीने के स्वच्छ जल का प्रबन्ध करने की समस्या हल हो जायगी । शहरी व देहाती जल-प्रदाय की कुछ योजनाएं चालू वर्ष में संपूर्ण हो चुकी हैं । जिन योजनाओं का काम निर्माणाधीन है उनके अलावा कुछ नई योजनाएं भी १६६०–६१ में शुरू की जायेंगी ।

सहायता प्राप्त आवास योजना

८३. राजकीय सहायता प्राप्त आवास योजना के अन्तर्गत सरकार ने जयपुर, पाली व भीलावड़ा में किराये के ११२२ मकान बनवाये हैं । ऐसे ११६८ मकानों के लिए और स्वीकृति दे दी गई है तथा ब्यावर, पाली, गंगानगर व जावर खान में अधिकांश का निर्माण प्रगति पर है ।

८४. ग्रामीण सामुदायिक विकास की योजना को कार्यान्वित करने में हमें जो काफी सफलता प्राप्त हुई है और अन्ततोगत्वा कृत्यों व अधिकारों का जो विकेन्द्रीकरण हुआ है, उससे हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि शहरी सामुदायिक विकास की योजना भी शुरू करना परमावश्यक हो गया है । हम इसकी एक व्यावहारिक योजना तैयार कर रहे हैं जो तीसरी पंचवर्षीय योजना का अंग होगी । हम १६६०-६१ में इसकी शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं । इस कार्य के लिए अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था करना सम्भव होगा ।

८५. सरकार के आयोजना विभाग ने राजस्थान की तीसरी पंचवर्षीय योजना का एक आजमाइशी ढांचा प्रकाशित किया है । किन्तु यह ढांचा मुख्यतया विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कार्यकारी दलों तथा राज्य आयोजना मण्डल की तृतीय योजना समिति के मार्ग दर्शन के लिए है । योजना का अन्तिम चित्र तो तभी तैयार होगा जब इन विभिन्न कार्यकारी दलों तथा राज्य आयोजना मण्डल की समिति के प्रतिवेदनों में काट-छांट हो जायगी और सरकार इन पर गौर करके आयोजना आयोग के परामर्श से अन्तिम निर्णय करेगी । इस ढांचे में राज्य की तीसरी पंचवर्षीय योजना की पूर्ति के लिए २७६.३८ करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान लगाया गया है । इस खर्च में राजस्थान नहर के लिये आवश्यक धनराशि शामिल नहीं है । राजस्थान नहर पर खर्च होने वाला रुपया, कुल योजना की उच्चतम सीमा से बाहर, ऋण सहायता के रूप में केन्द्रीय सरकार से प्रत्याशित है जैसा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ है ।

८६. ३१ मार्च, १६५६, को हमारे कोष (गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोटों तथा हिस्सों के रूप में) की जो स्थिति थी और ३१ मार्च, १६६० को जो प्रत्याशित है वह इस प्रकार है:—

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

३१ मार्च, १९५९ को १५०१.२१ लाख रु. जिसमें हिस्सों के २८३.५२ लाख रु. शामिल है।

३१ मार्च, १९६० को १४४१.३७ लाख रु. जिसमें हिस्सों के २९१.१६ लाख रु. शामिल हैं।

८७. तीन बार सार्वजनिक ऋणों द्वारा जो धनराशि अब तक एकत्रित की गई है उसका योग ६७८.२१ लाख रु. है।

८८. केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋणों का योग ३१ मार्च, १९५९, को ६९१६.०९ लाख रु. था और ३१ मार्च १९६० तक इन ऋणों का योग ८७३०.५५ लाख रु. हो जाने की संभावना है। इन ऋणों में वे अल्पकालीन ऋण शामिल नहीं किये गये हैं जिनका भुगतान अठारह महीने के भीतर कर दिया जाता है और वे राहत व पुनर्वास ऋण भी शामिल नहीं हैं जिनका भुगतान वास्तविक उगाहियों की सीमा तक ही किया जाता है। केन्द्रीय सरकार से उधार ली गई उपरोक्त धनराशि में २८५३.०८ लाख रु. भाखड़ा परियोजना से, १२८७.८७ लाख रु. चम्बल परियोजना से तथा ८७५ लाख रु. राजस्थान नहर परियोजना से संबंधित हैं। शेष धनराशि अन्य विकास योजनाओं के वास्ते लिये गये ऋणों से संबंध रखती है।

८९. ३१ मार्च, १९५८, तक की सारी अदायगियों का भुगतान कर दिया गया है। चालू वर्ष के आयव्ययक में इस मद में केवल २१७ लाख रु. की व्यवस्था की गई थी, परन्तु जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, संशोधित अनुमानों में इस रकम को बढ़ा कर ५०० लाख रु. करना पड़ा क्योंकि जब भारत सरकार ने द्वितीय वित्त आयोग की सिफारिशों को नहीं माना तो सारी बकाया किश्तों का भुगतान करना आवश्यक हो गया। आगामी वर्ष के बजट में ऋणों के भुगतान के लिये ३३० लाख रु. की व्यवस्था की गई है।

९०. आगामी वर्ष के अनुमानों में ब्याज प्रभारों के पूरे भुगतान की व्यवस्था की गई है।

९१. सार्वजनिक ऋणों से संबंधित अवमूल्यन (डेप्रिसियेशन) प्रभारों के लिये भी व्यवस्था की गई है।

९२. सार्वजनिक ऋण की इस बड़ी धनराशि से घबराने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था तीव्र वेग से विकासमान होती है उसमें सार्वजनिक ऋण लेना अपरिहार्य हो जाता है। दूसरे, हमने जो परिसंपत्तियां (असेट) उपार्जित की हैं वे हमारे ऋणभार से बहुत अधिक हैं। बड़ी बड़ी परियोजनाओं के क्षेत्रों में भूमि की बिक्री तथा सुधार शुल्क से मिलने वाली प्राप्तियां पूंजीगत व्यय के बड़े अंश को पूरा करने के लिये पर्याप्त होंगी। सिंचाई सुविधाओं का पूरा उपयोग होने पर तथा अन्य विकास योजनाओं के संपूर्ण होने पर हमारे राजस्व संसाधनों में काफी वृद्धि होगी और ऋणों का भुगतान करना बिलकुल कठिन नहीं होगा।

९३. आगामी वर्ष में ५ करोड़ रुपये का सार्वजनिक ऋण लेने का विचार है।

Page No.18

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

९४. संक्षेप में, ४५.१४ ६६ लाख रु० अनुमानित राजस्व प्राप्तियों के प्रति राजस्व लेखे में व्यय के अनुमानों का योग ४५.८६. २२ लाख रु० है जिससे ७४.२६ लाख रु० का घाटा रहता है । इन आंकड़ों में हमने न तो नये कर आरोपण से प्राप्त होने वाले अतिरिक्त संसाधनों का हिसाब जोड़ा है और न प्रशासनिक व्यय में की जाने वाली मितव्ययता का ।

९५. जहां तक मितव्ययता का संबंध है, सरकार ने निर्णय कर लिया है कि कर्मचारीवर्ग पर बढ़ते हुए व्यय पर रोक लगाने के लिये तथा वर्तमान व्यय में मितव्ययता के लिये, विभिन्न विभागाध्यक्षों के मातहत काम करने वाले कर्मचारियों की वर्तमान समग्र संख्या में तदर्थ कटौती की जाय—५ प्रतिशत लिपिक वर्गीय कर्मचारियों में तथा १० प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में । यह कटौती केवल वर्तमान पदों पर ही लागू नहीं होगी बल्कि उन पदों पर भी होगी जो आगामी वर्ष के आयव्ययक में शामिल किये जा रहे हैं । किसी व्यक्ति की छंटनी करने का इरादा नहीं है । खाली स्थानों के भरे जाने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है । कोई भी नई भर्ती करने से पहले तमाम फालतू घोषित कर्मचारियों को काम पर लगाया जायगा । यह कदम न केवल विकास कार्यक्रमों की बढ़ती हुई मांगों के वास्ते संसाधन उपलब्ध करने के लिये आवश्यक समझा गया है, बल्कि इसलिये भी कि सरकारी कर्मचारियों की सेवा स्थितियों को सुधारा जा सके ।

९६. मितव्ययता समिति विभागों में मितव्ययता की गुंजायश का पता लगाती रहेगी और वह जो मितव्ययताएं सुझायेगी वे तदर्थ कटौती के फलस्वरूप होने वाली मितव्ययता के अतिरिक्त होंगी । । इस उपाय से होने वाली बचत का अनुमान ३४ लाख रु० बैठता है । चूंकि फालतू घोषित किये गये कर्मचारी तब तक वेतन पाते रहेंगे जब तक कि उन्हें नये पदों पर न लगा दिया जाय, इसलिये हम १९६०–६१ में केवल २५ लाख रु. की बचत मान कर चल सकते हैं ।

९७. कर आरोपण उपायों के मामले में हमारा प्रस्ताव ६५ लाख रु. करों द्वारा वसूल करने का है—१० लाख रु. भूराजस्व के अधीन, ७ लाख रु. राज्य आबकारी शुल्कों के अधीन, ३ लाख रु. मुद्रांक व न्यायालय शुल्क के अधीन तथा ४५ लाख रु. बिक्री कर के अधीन ।

९८. जागीरों के पुनर्ग्रहण तथा जोतों की उच्चतम सीमा निर्धारण के परिणामस्वरूप कृषि आय कर से किसी प्रकार की गणनीय प्राप्ति की तनिक भी संभावना नहीं है । कर्मचारियों पर अनावश्यक खर्च के अलावा इससे करदाताओं को काफी मुसीबत और परेशानी उठानी पड़ती है । अतः सरकार ने १ अप्रेल, १९६०, से कृषि आयकर अन्त करने का निश्चय किया है । राजस्थान वित्त जांच समिति की सिफारिशों का अनुसरण करके भू-राजस्व पर अधिभार (सरचार्ज) लगाने का भी प्रस्ताव है जिससे प्राप्तियों में १० लाख रु० की वृद्धि की आशा है ।

९९. आबकारी दरों में किंचित परिवर्तनों से ७ लाख रु. की अतिरिक्त आय होने की संभावना है ।

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

१००. राज्य के भीतर नये उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिक्री कर के मामले में कुछ सुविधाओं व रियायतों की घोषणा की गई है। इससे बिक्रीकर से प्राप्त होने वाली सीधी आय में कमी हो जायगी, परन्तु औद्योगीकरण के फलस्वरूप हमको अनेक अप्रत्यक्ष लाभ हासिल होने की आशा है।

१०१. दरों के ढांचे को सरल बनाने के लिये बराबर मांग उठती रही है और इस दिशा में कदम उठाये गये हैं. वर्तमान में [illegible]ं की आठ विभिन्न श्रेणियां हैं जिनके कारण हिसाब-किताब रखने में बहुत उलझन होती है और व्यापारी वर्ग को इस कार्य के संपादन पर बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है। इसलिये कर की दरों की श्रेणियां आठ से घटा कर पांच करने का प्रस्ताव है—अर्थात् १।८, १,२,४,व ७ प्रतिशत वाली श्रेणियां रहेंगी और ६,५, व ३-१।८ प्रतिशत वाली श्रेणियां छोड़ दी जायेंगी। सरलीकरण की इस प्रक्रिया का प्रभाव यह होगा कि श्रेणियों की संख्या तो कम हो ही जायगी, साथ ही कुछ वस्तुओं पर कर की दर ७ प्रतिशत से घट जायगी और ६ व ५ प्रतिशत वाली दरें घट कर ४ प्रतिशत रह जायेंगी, साथ ही साधारण दर ३-१।८ प्रतिशत से बढ़ कर ४ प्रतिशत हो जायगी। इससे दाशमिक सिक्कों के आधार पर हिसाब लगाने में सुविधा होगी। इस उपाय के फलस्वरूप ३५ लाख रु० तक की अतिरिक्त आय होने की आशा है।

१०२. भारत सरकार ने १ अप्रेल, १९६०, से पट्रोल के मामले में मेट्रिक प्रणाली अपनाने का जो निश्चय किया है उससे मोटर स्पिरिट्स कर-आरोपण अधिनियम में संशोधन आवश्यक हो गया है। प्रति गैलन के हिसाब से वर्तमान दर यदि लिटर के हिसाब से लगाई जाय तो भिन्नांश संख्या आती है, इसलिये हिसाब में सुविधा के लिये इसे पूर्ण संख्या रखना आवश्यक है। दरों के इस समायोजन से राज्य को लगभग ४ लाख रु० की अतिरिक्त आय प्राप्त होगी।

१०३. बिक्री कर अधिनियम का जो वर्तमान रूप है उसमें कुछ सौदों पर कर वसूल करने की व्यवस्था नहीं है और ऐसे मामलों में कर से बचने को रोकने के लिये उपाय करने की आवश्यकता है। कुछ राज्यों ने ऐसे मामलों में क्रय-कर वसूल करने की व्यवस्था अपने बिक्रीकर अधिनियमों में शामिल कर दी है। इसी के अनुसार हमारे अधिनियम में भी संशोधन का प्रस्ताव है। इस उपाय से ६ लाख रु० की अतिरिक्त आय प्रत्याशित है।

१०४. इस प्रकार यदि हम ६५लाख रु० अतिरिक्त कर आरोपण के तथा २५ लाख रु० मितव्ययता के अर्थात् कुल ९० लाख रु० अपने हिसाब में जोड़ें तो ७४.४६ लाख रु० की राजस्व घटी लुप्त होकर राजस्व लेखे में हम १५.७४ लाख रु० की छोटी सी बचत की आशा करते हैं।

१०५. अनुमानित पूंजीगत व्यय का आंकड़ा २७२२.४६ लाख रु० बैठता है जिसकी वित्त व्यवस्था सार्वजनिक ऋण से केन्द्रीय सरकार से मिलने वाले ऋण से तथा सार्वजनिक लेखे में उपलब्ध लेखे में बचत से, की जायगी।

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

१०६. माननीय सदस्य यह जानना चाहेंगे कि समाज सेवा के लिये तथा सार्वजनिक उपयोग व कल्याण विभागों के लिये कितनी कितनी रकमें तजवीज की गई हैं। १६५५-५६ में, अर्थात् पहली योजना के अन्तिम वर्ष में, समाज सेवाओं पर कुल ७४८.०५ लाख रु० खर्च किये गये थे। इसके मुकाबले में १६५८-५६ का वास्तविक खर्च १५८८.६८ लाख रु० हुआ और चालू वर्ष का संशोधित अनुमान १८५३.६५ लाख रु० प्रस्तावित किया गया है। १६६०-६१ में २१२६.६५ लाख रु० के खर्च का अनुमान लगाया गया है। अगले वर्ष के अनुमानों में सार्वजनिक उपयोग व कल्याण विभागों के लिये विभिन्न शीर्षकों में जो व्यवस्था की गई है वह १६५१-५२ के वास्तविक व्यय की रकम ७५६.५६ लाख रु० के मुकाबले में ४८२६.१६ लाख रु० तक पहुंच गई है।

१०७. हमारी सफलताओं व उपलब्धियों पर यदि विवेकपूर्ण तथा तटस्थ दृष्टि से निगाह डाली जाय तो मालूम होगा कि अपने लक्ष्य की ओर हमारी प्रगति केवल कायम ही नहीं रही है बल्कि वेग प्राप्त करती जा रही है। हमारा प्रयास यह होना चाहिये कि लोकतन्त्री विकेन्द्रीकरण के द्वारा पंचायत राज का जो पौधा हमने लगाया है उसे जनता के विश्वास से तथा उसका भार वहन करने वाले लोगों के हार्दिक प्रयत्नों से सींचा जाय ताकि वह गहरी जड़ें जमा सके। मैं निस्संकोच कह सकता हूँ कि यह पौधा कालान्तर में एक विशाल वृक्ष का रूप धारण करेगा और सब तरह के तूफानों का सामना करने में समर्थ होगा।

१०८. अपना स्थान ग्रहण करने से पहले मैं व्यापक रूप से राजस्थान की जनता को तथा विशेष रूप से माननीय सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्रों में राज्य के विकास की सुदृढ़ नींव डालने के मिशन में काफी हद तक सफलता प्राप्त की है। इस सफलता को देखते हुए हमको भविष्य की ओर आत्मविश्वास के साथ तथा संतोष की भावना से देखने की प्रेरणा मिलती है। किन्तु फिर भी, हमें आत्मतुष्ट होकर बैठना उचित न होगा। हमारे सामने अभी जबरदस्त का[illegible] पड़ा है। जो भारी पूंजी हम अब तक लगा चुके हैं उसके पूरे फल हम अभी नहीं उठा पा रहे हैं। इसमें समय लगेगा। इसलिये हमको और भी अधिक त्याग व कठिन परिश्रम के लिये उद्यत रहना चाहिये। मुझे पूरा विश्वास है कि हम बुद्धिमान तथा दूरदर्शी व्यक्तियों की भांति इसके लिये अपना सर्वस्व निछावर करने में कोताही नहीं करेंगे जिससे राजस्थान में वास्तविक कल्याणकारी राज्य निर्माण हो सके—राजस्थान का भविष्य उज्जवल बन सके।

श्री अध्यक्ष : अब सदन की कार्यवाही कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही १२.१५ म० प० बजे दिनांक १० मार्च, १६६०, के म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

———

संक्षिप्त-विवरण

(बुधवार, ६ मार्च, १९६०)

स्कम्भ स्कम्भ

आय व्ययक १९६०-६१ पर वित्त मंत्री का भाषण ।

वृहस्पतिवार, दिनांक १० मार्च, १९६०, का संक्षिप्त-विवरण :

(१) पुरः स्थापित किये जाने वाले विधेयक ।

(क) राजस्थान विक्रयकर (संशोधन) विधेयक, १९६० ।

(ख) राजस्थान कृषि आयकर (संशोधन) विधेयक, १९६० ।

(ग) राजस्थान मोटर स्पिरिट विक्रय करारोपण (संशोधन) विधेयक, १९६० ।

(घ) राजस्थान भू—राजस्व (सर्चार्ज) विधेयक, १९६० ।

२. आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद ।

शुद्धि-पत्र

(बुधवार ६ मार्च, १९६०)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
२१०६	अन्तिम से ४	उपाया	उपायों
२१११	,, ,, ५	स्वीकृत ही	स्वीकृत हो
२११३	१८	१७८६.२१	१७८६.३१
२१२०	२१	में व्यय	मैं व्यय
२१४०	अन्तिम	स्यगित	स्थगित